3092
27/5/25

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

राँची, दिनांकः–

विषयः- **HRMS अन्तर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

सरकारी विभाग/कार्यालयों में पदोन्नति का अर्थ सामान्यतः कर्मियों को वरीयता–सह–योगता के आधार पर उच्च पद प्रदान करना है। यह प्रक्रिया न केवल कर्मियों की व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम है, बल्कि यह विभाग/कार्यालय की दक्षता एवं कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। पदोन्नति से कर्मियों में आत्मविश्वास, संतोष एवं प्रेरणा में वृद्धि होती है जिससे वह अपने कार्यों को और अधिक उत्साह के साथ करते हैं।

2. कर्मियों की भर्ती, जिस सेवा शर्त नियमावली के आलोक में की जाती है, उसमें पदोन्नति के पद सोपान एवं इसके लिए कालावधि निर्धारित होती है। सेवा नियमावली के प्रावधानों के आलोक में संबंधित कर्मियों के पदोन्नति पर विचार करने के क्रम में इनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, विभागीय आरोप, सम्पति विवरणी समर्पित करने की स्थिति के साथ निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जाता है।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा पदाधिकारियों के पक्ष में निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3804 दिनांक–08.07.2011 के द्वारा निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में भी कतिपय प्रावधान किये गये हैं।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व प्रशासी विभाग के द्वारा पदोन्नति के योग्य पदाधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में विहित प्रपत्र में विवरणी तैयार की जाती है। तत्पश्चात् निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उसे मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिससे पदाधिकारियों की पदोन्नति विलंबित हो जाती है।

5. उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित HRMS अन्तर्गत Vigilance Clearance Information System (VCIS) विकसित की गयी है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 से ऑनलाईन निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु निम्नवत् कार्रवाई की जायेगी :–

(I) इस प्रणाली का उपयोग करते हुए कोई भी विभाग अपने पदाधिकारियों की निगरानी स्वच्छता मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड से ऑनलाइन प्राप्त करेगा।

इसे https://hrms.jharkhand.gov.in. पर Login कर Access किया जायेगा। Vigilance Clearance Information System में निम्नलिखित 05 खण्ड है–

I. Employee Corner
II. Anti Corruption Bureau(ACB)
III. Technical Evaluation cell (TEC)
IV. Department Of Cabinet Secretariat & Vigilance
V. Department Concerned

(II) पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपनी पदस्थापन संबंधी विवरणी को HRMS में अद्यतन रखें, ताकि उनका निगरानी स्वच्छता Vigilance Clearance Information System से प्राप्त किया जा सके। विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वे अपने पदाधिकारियों की पदस्थापन संबंधी विवरणी को इस प्रणाली में अद्यतन कराएं।

(III) इस प्रणाली में किसी पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज मामलों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तकनीकी मूल्यांकन कोषांग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा ऑनलाईन सूचना अंकित की जायेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तकनीकी मूल्यांकन कोषांग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा अंकित सूचना के आलोक में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की सूची तैयार करते हुए ऑनलाईन निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र को Generate किया जाएगा।

(IV) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं तकनीकी मूल्यांकन कोषांग के द्वारा किसी पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज मामलों/निष्पादित मामलों के संबंध में सूचना को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक VCIS में अद्यतन किया जाएगा। इसके आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, के द्वारा पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज मामलों/निष्पादित मामलों के संबंध में सूचना को VCIS में प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक अद्यतन किया जायेगा।

(V) Generated आनलाईन निगरानी स्वच्छता की वैधता अगले माह की 15वीं तारीख तक होगी।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.05.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26/05/25

(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नीति नि०–07–01/2025 का॰ –3092/राँची, दिनांक 27/5/25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

26/05/25
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नीति नि०–07–01/2025 का॰ –3092/राँची, दिनांक 27/5/25

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/05/25
सरकार के सचिव।